27-01-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण खात्मा के संबंध में साक्ष्य हेतु नियत है। थाना प्रभारी विनय यादव उप०। बाद कथन मुक्त किया गया। कोई साक्ष्य और प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अतः साक्ष्य समाप्त की जाती है। खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में तर्क सुने गए। प्रकरण खात्मा प्रतिवेदन पर आदेश हेतु थोडी देर बाद पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ। प्रकरण खात्मा प्रतिवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 26.04.16 को फरियादी रविकांत सोनी वार्ड क0 5 नूरगंज कस्बा गोहद में राजू बरेठा के यहां निमंत्रण खाने गया था। अपने पिता की मोटरसाईकिल एम0पी0—07 एम0पी0—8460 हीरो होण्डा सी0डी0 डीलक्स काले रंग की, को बाहर खडी करके खाना खाने चला गया। लौटकर आया तो उसकी मोटरसाईकिल नहीं मिली। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0 121/2016 थाना गोहद में पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान पुलिस को उक्त मोटरसाईकिल नहीं मिली। तत्पश्चात् खात्मा प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी— पुलिस गोहद के अग्रेषित कराकर स्वीकृति हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.17 को प्रस्तुत किए जाने से विविध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दौरान जांच फरियादी रिवकांत सोनी, वाहन स्वामी राधेश्याम सोनी तथा थाना प्रभारी विनय यादव के कथन लेखबद्ध किए गए। उन्होंने घटना की ताईद कर उक्त मोटरसाईकिल न मिलने और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना बताते हुए खात्मा स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया है। अनुसंधानकर्ता ने दिनांक 26.04.16 से खात्मा लगाए जाने तक माल एवं मुल्जिम के पता न चलने के आधार पर खात्मा प्रस्तुत किया है।

चूंकि घटना को एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है और अनुसंधान एजेंसी को उक्त मोटरसाईकिल मिलने की संभावना न होने के आधार पर खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। स्वयं फरियादी अनुसंधान कार्यवाही से संतुष्ट है। अतः मोटरसाईकिल क0 मोटरसाईकिल एम0पी0—07 एम0पी0—8460 हीरो होण्डा सी0डी0 डीलक्स की चोरी के संबंध में प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है कि माल व मुल्जिम मिलने की दशा में अनुसंधान पुनः किया जा सकता है।

खात्मा प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रकरण से संलग्न की जावे। मूल खात्मा प्रतिवेदन पर परिणामपृष्ठांकन कर मय आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर केस डायरी मूलतः आरक्षी केन्द्र को भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)